निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1939 (श0)

(सं0 पटना 1100) पटना, मंगलवार, 28 नवम्बर 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

28 जून 2017

सं0 स्था०–05–(सं0नि0)–131/2013(खण्ड)1089——भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ 1–

(1) यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 के नियम–8 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन 1– बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम–8 का उप नियम–(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"(1) नियुक्ति प्राधिकार नियमावली के नियम –6(1) में यथा अवधारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त समूह 'घ' के कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

28 जून 2017

सं0 स्था०–05–(सं0नि0)–131/2013(खण्ड)1090——बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 28th June 2017

No. 03/Astha-05-(S.Ni.)-131/2013-1089— In exercise of the Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Water Resources Department field clerical (recruitment and condition of service) Rules-2014:-

1. Short title extend and commencement—

(1) These Rules may be called "The Bihar Water Resources Department field and clerical cadre (recruitment and condition of service) (Amendment) Rules, 2017"

(2) It Shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It Shall come in to force atonce.

2. Substituition of sub rule (1) of the rule 8 of the said Rules, 2014-Sub rule (1) of rule 8 of the Bihar Water Resources Department field and clerical cadre (recruitment and condition of service) Rules, 2014, shall be substituted by the following :-

"(1) The appointing authority shall prepare the seniority list of group "D" staff having minimum qualification as determined in Rule- 6 (1) of the Rules."

By order of the Governor of Bihar,
RAKESH MOHAN.
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1100-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in